

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. २४५१०-वि.स.-विधान-२०११.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम ५९ के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) विधेयक, २०११ (क्रमांक ४२ सन् २०११) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४२ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ७) विधेयक, २०११

३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग एक हजार दो सौ छिहत्तर करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार नौ सौ सत्रह रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. १२,७६,३५,६०,९१७ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त (राशि रुपये में)	भारित (राशि रुपये में)	योग (राशि रुपये में)
	लोक ऋण (वित्त विभाग)			
	पूँजी		८,०१,९८,५८,१३९	८,०१,९८,५८,१३९
०२.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ७१,५०,२३५	०	७१,५०,२३५
०३.	पुलिस	राजस्व ०	२,९७१	२,९७१

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
१४.	पशुपालन	राजस्व	१,८५,१२,१५९	०	१,८५,१२,१५९
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	५०,६६,०९,६३१	३,४५,४०५	५०,६९,५५,०३६
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	८०,१९,५७,०६६	०	८०,१९,५७,०६६
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१६,११,४९४	०	१६,११,४९४
२७.	स्कूल शिक्षा	पूँजीगत	२,९८,२२,१६,३०४	०	२,९८,२२,१६,३०४
२९.	विधि एवं विधायी कार्य	राजस्व	०	१,७५,४३,६७३	१,७५,४३,६७३
५०.	बीस सूत्र कार्यान्वयन	राजस्व	४३,५१,८४४	०	४३,५१,८४४
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१५,७९,०८,४१०	०	१५,७९,०८,४१०
५९.	१०वां वित्त आयोग (स्कूल शिक्षा)	पूँजीगत	७,५८,३१,६८२	०	७,५८,३१,६८२
६२.	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	६८,८०५	०	६८,८०५
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	१५,१२,६३,५२३	०	१५,१२,६३,५२३
७७.	वन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	१,८०,९९,७५१	०	१,८०,९९,७५१

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
८१.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	०	२,२९,८२५	२,२९,८२५
	योग :	राजस्व	१,६६,७५,३२,९१८	१,८१,२१,८७४	१,६८,५६,५४,७९२
		पूंजीगत	३,०५,८०,४७,९८६	८,०१,९८,५८,१३९	११,०७,७९,०६,१२५
	वृहद योग :		४,७२,५५,८०,९०४	८,०३,७९,८०,०१३	१२,७६,३५,६०,९१७

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् १९९९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २३ नवम्बर, २०११

राघवजी

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.